अव्यवस्था | सिर्फ़ मुख्य सड़को से कूड़ा उठाकर जा रहे कचरा वाहन

सफाई व्यवस्था ने बिगाड़ी जॉर्ज डी सिल्वा वार्ड की तस्वीर

जबलपुर, नवभारत। शहर के गोरखपुर के अंतर्गत आने वाला जॉर्ज डी सिल्वा वार्ड में इन दिनों सफाई व्यवस्था को लेकर हालात नहीं सुधर रहे है। शनिवार को वार्ड परिक्रमा के तहत नवभारत द्वारा की गई जांच-पड़ताल में सामने आया कि गोरखपुर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। क्षेत्र में पानी समय पर उपलब्ध हो रहा है और बिजली की सप्लाई भी सामान्य रूप से बनी रहती है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के दौरान रात में अचानक बिजली कटौती हो जाती है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं दिखी। कचरा गाड़ी तो रोजाना समय पर पहुंचती है, लेकिन कर्मचारियों द्वारा केवल मुख्य सड़कों पर ही सफाई की जा रही है, जबकि गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कई स्थानों पर नालियां जाम होने की शिकायत भी सामने आई है। इस मामले में गोरखपुर के पार्षद जय चक्रवर्ती ने नवभारत से बातचीत में बताया कि क्षेत्र में सभी सुविधाएं समय-समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

वार्ड के पार्षद ने स्वीकार किया कि कुछ कर्मचारी अपने कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके चलते समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पार्षद ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस दिशा में कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि क्षेत्र में नालियों की सफाई हर 2 दिन में नियमित रूप से की जा रही है। साथ ही अधिकांश नालियों को कवर कराया जा चुका है, केवल 25% कार्य ही शेष रह गया है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

इनका कहना है

कचरा गाड़ी समय पर आती है पर फिर भी गंदगी बरकरार है और गलियों की हालत खराब रहती है।

राहुल कोरी

यहां पानी और बिजली की व्यवस्था ठीक है, जिससे काफी राहत मिलती है। कचरा गाड़ी भी समय पर आ जाती है, बस सफाई और बेहतर हो जाए तो और अच्छा रहेगा।

संजू गुप्ता

बढ़ती गर्मी का असर अब नगर निगम के कामकाज पर भी देखने को मिल रहा है। तेज गर्मी के कारण कुछ कर्मचारी बीमार हो रहे हैं, जिससे कभी-कभी सफाई कार्य प्रभावित हो जाता है।

जय चक्रवती, पार्षद

मध्यस्थता के बाद रिश्ते से सहमत हुए दोनों परिवार

हाईकोर्ट ने किया बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण

जबलपुर। उम्र में छोटे नवयुवक के द्वारा बेटी को भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए दोनों परिवार के बीच मध्यस्थता के संबंध में आदेश जारी किये थे। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को मध्यस्थता के बाद दोनों परिवार में समझौता हो गया है। युगलपीठ ने मध्यस्थता की सराहना करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।

सिंगरौली निवासी सरकारी कर्मचारी की तरफ से दायर की गयी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया था कि उसकी 19 वर्षीय बेटी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और फुटबॉल खिलाडी थी। कॉलेज में पढने वाले उससे एक साल छोटा नवयुवक उसे भगाकर ले गया है। उसकी बेटी विगत 13 अप्रैल से गायब है उसके लापता होने की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई गई थी। याचिका में कहा गया था कि युवक ने उसकी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया है,जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह परिजनों से बात भी नही करना चाहती है। बेटी का भगाकर ले जाने वाला युवक महज 18 साल का है और आर्थिक रूप से असक्षम है। बेरोजगार होने के कारण वह उसकी बेटी का पालन नहीं कर सकता है। उसका परिवार भी आर्थिक रूप से कमजोर है। कानून तौर भी युवक 21 साल से पहले विवाह नहीं कर सकता है। याचिका में राहत चाही गयी थी कि बेटी को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे परिजनों के सुपुर्द किया जाये। याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने दोनों पक्ष के बीच कानूनी मध्यास्ता के निर्देश जारी किये है।

बिना वाजिब कारण देरी से किये गये आवेदन पर नहीं दी जा सकती राहत

मप्र हाईकोर्ट ने जमीन के बदले रेलवे से नौकरी की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि बिना वाजिब कारण देरी से किए गए आवेदन पर राहत नहीं दी जा सकती। जस्टिस विवेक रूसिया एवं जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कैट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें याचिकाकर्ता की उक्त मांग वाली याचिका निरस्त कर दी गई थी। टीकमगढ़ निवासी मुकेश यादव ने याचिका दायर कर बताया कि ललितपुर-खजुराहो ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के लिए पश्चिम मध्य रेल ने याचिकाकर्ता की 0.809 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई थी। जनवरी 2007 में इसका मुआवजा भी दे दिया गया। पमरे की ओर से अधिवक्ता अर्नव तिवारी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 2010 की एक पॉलिसी के तहत 2017 में जमीन के बदले नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसे रेलवे ने निरस्त कर दिया। दलील दी गई कि उक्त पॉलिसी बैकडेट से लागू नहीं की जा सकती। इसके अलावा पॉलिसी लागू होने के 7 वर्ष बाद आवेदन किया गया और देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

बिजली दुर्घटना में मृत कर्मचारी के परिवार को मिलेगा मुआवजा

एसई बोले–बीमा राशि का शीघ्र होगा भुगतान

नवभारत, जबलपुर। म.प्र. विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन की बैठक अधीक्षण अभियंता (शहर संभाग) कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें गोहलपुर में हुई बिजली दुर्घटना में आउटसोर्स कर्मचारी रंजीत कोरी की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया गया। अधीक्षण अभियंता संजय अरोरा ने आश्वासन दिया कि मृतक के परिवार को बीमा सहित निर्धारित राशि का शीघ्र भुगतान किया जाएगा तथा आश्रित को आउटसोर्स में रोजगार दिया जाएगा।फेडरेशन के महामंत्री राकेश डी. पी. पाठक ने घटना की जांच कर भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। उन्होंने मृतक परिवार को समुचित मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति देने के साथ तकनीकी कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपये का बीमा अनिवार्य करने पर जोर दिया। बैठक में यू. के. पाठक, दिनेश दुबे, उमाशंकर दुबे, राजेश मिश्रा, मोहित पटेल, योगेश पटेल, दीपक मेमने सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। संघ ने मांग उठाई कि तकनीकी कार्य केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों से कराया जाए, सभी को सुरक्षा उपकरण, जोखिम भत्ता और समय पर वेतन मिले तथा आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं में मनमानी न हो। संजय अरोरा ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कार्यस्थलों पर बेहतर वातावरण, उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठक में सब-स्टेशनों पर पर्याप्त स्टाफ, प्रशिक्षण, साफ-सफाई, फायर व्यवस्था और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया था।

राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज

परीक्षार्थियों को पहुंचना होगा 90 मिनट पहले

नवभारत, जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आज 26 अप्रैल को राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा को पूरी तरह निर्विघ्न, सुव्यवस्थित और शुचितापूर्ण रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने तैयारी सुनिश्चित कर ली है। संभागायुक्त कार्यालय ने निर्देश जारी किए हैं कि इस बार परीक्षा के दौरान सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएंगे, जिसके तहत केंद्रों पर नई त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इस परीक्षा का संचालन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा किया जा रहा है, जो जबलपुर शहर के 14 परीक्षा केंद्रों सहित प्रदेश के सभी 54 संभाग और जिला मुख्यालयों के कुल 365 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा दो सत्रों में संपन्न होगी, पहला सत्र सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से 4:15 बजे तक रहेगा। परीक्षा की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इस बार त्रिस्तरीय नवीन जांच प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग और एचएचएमडी के माध्यम से दोनों सत्रों में होगी। इस नई व्यवस्था अंतर्गत परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से ठीक 90 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है।

परीक्षा कक्ष में नहीं जा सकेंगे जूते-मोजे पहनकर

परीक्षार्थियों के लिए वर्जित वस्तुएं के संबंध में निर्देश दिये गये हैं कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफलिंक, धूप का चश्मा, इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर युक्त चश्में, जूते-मोजे, हाथ के बैंड इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अत: परीक्षा में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ट्रैक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।

वर्जित वस्तुओं की सूची रहेगी चस्पा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी अपने साथ केवल आवश्यक बॉलपेन, पारदर्शी पानी की बोतल, ई-प्रवेश पत्र और अपना पहचान पत्र ही ले जा सकेंगे। सुरक्षा जांच के दौरान महिला परीक्षार्थियों की तलाशी महिला वीक्षकों द्वारा अलग केबिन में की जाएगी, जबकि पुरुष परीक्षार्थियों की जांच पुरुष कर्मचारी करेंगे। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर ही वर्जित और अनुमत वस्तुओं की विस्तृत सूची चस्पा की जाएगी, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह के भ्रम का सामना न करना पड़े और परीक्षा की गरिमा बनी रहे।

एक नजर में

मनीष हत्याकांड : आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर

जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत नीची नुनसर में अपशब्दों के बोलने पर मनीष चढ़ार की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है लेकिन अब तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस के मुताबिक मनीष चढ़ार पिता प्रहलाद चढार 26 वर्ष निवासी नीची नुनसर का शुक्रवार दोपहर दो बजे पड़ोस में रहने वाले विवेक पटेल, अभिषेक पटेल, पारस उर्फ कान्हा पटेल से अपशब्दों के बोलने पर विवाद हो गया । इसके बाद तीनों ने उसके साथ मारपीट कर दी। लाठी, डंडे और कुल्हाडी से हमला कर दिया । इसके बाद विवेक पटेल ने बेटे मनीष को पकड लिया कान्हा ने मनीष के गले में गमछा पलटे कर जोर से खींच दिया था। मनीष बेहोश हो गया तो तीनों वहां से भाग गये थे। परिजन मनीष को घर लेकर आ गए । शाम करीब 6 बजे देखा तो मनीष 26 वर्ष की मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है लेकिन अब तक आरोपित पुलिस गिरफ्त से दूर है। टीआई गोपिन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है ।

रोड निमार्ण नपाई के दौरान हंगामा, पिता-पुत्रों ने उपयंत्री को पीटा

जबलपुर। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत कंचनपुर के पास पीडब्ल्यूडी के द्वारा रोड निमार्ण कार्य कराये जाने शनिवार को नपाई शुरू हुई इसी दौरान पिता-पुत्रों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया बल्कि नगर निगम उपयंत्री को धमकाते हुए उसकी पिटाई कर दी । पुलिस ने रिपोर्ट पर शासकीय कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अशोक वर्मा 48 वर्ष निवासी ललपुर ग्वारीघाट ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह नगर निगम में उपयंत्री के पद पर पदस्थ है। शनिवार दोपहर 12-30 बजे कंचनपुर के पास पी डब्ल्यू डी के द्वारा रोड निमार्ण कार्य कराये जाने के लिए पी डब्ल्यू डी विभाग के कार्यपालन यंत्री , उप यंत्री एवं अन्य स्टाफतथा ठेकेदार प्रदीप वाधवानी के साथ सुयुक्त रूप से रोड निमार्ण के लिए नाप पर चूना लाईन डालने के लिये पहुंचे थे। तभी भरत पटेल उर्फनाटी, रामकुमार पटेल एवं दोनों बेटे आये और रोड निमार्ण कार्य में रोकटोक करते हुये चूना लाईन डालने से मना करने लगे उसने उनके स्वामित्व के दस्तावेजों की मांग की तो सभी हंगामा करते हुए हाथ मुक्कों से मारपीट करने लगे, उसके साथ के लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है।

बदमाश बम समेत पकड़ाया

जबलपुर। गोहलपुर पुलिस ने 40 फिट रोड पर दबिश देकर एक बदमाश को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से दो सुअरमार बम जप्त किए गए । टीआई रीतेश पांडे ने बताया कि अपराध करने की नीयत से घूम रहे रोहित गौड ठाकुर 20 वर्ष निवासी बडे हनुमान मंदिर के पास जवाहर नगर अधारताल अधारताल को पकड़ा गया । जिसके कब्जे से पॉलीथीन के अंदर 2 सुअरमार बम रखे मिले। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।

दो युवकों ने लगाई फांसी

जबलपुर। खमरिया थाना अंतर्गत तिघरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जबकि पाटन में नवनिर्मित मकान में युवक फांसी के फंदे पर झूल गया । मृतकों ने यह आत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उठाया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है । पुलिस दोनों ही मामलों में जांच कर रही है। खमरिया पुलिस ने बताया कि शनिवार को संगीता पटेल 35 वर्ष निवासी तिघरा खमरिया ने सूचना दी कि उसका भांज अनिल पटेल 28 वर्ष सुबह से अपने कमरे में था जिसे दोपहर 3-15 बजे लेटे हुये देखा था। शाम 4 बजे वह किचिन में जाने को हुई लेकिन किचिन का दरवाजा बंद था खिडकी से झांक कर देखा तो किचिन के बाजू स्थित अपने कमरे में भांजा अनिल पंखे में रस्सी से फांसी पर लटका था। इसी प्रकार पाटन थाने में टेकराम पटेलनिवासी भरतरी पाटन ने सूचना दी कि अंशुला पटेल 24 वर्ष ने नवनिर्मित मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

15 एकड़ कृषि भूमि को लेकर हुई थी सिविल इंजीनियर की हत्या

दो गिरफ्तार, तीन अब भी फरार

जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत बडा पत्थर नरसिंहनगर में गुरूवार सुबह गोली मारकर की गई सिविल इंजीनियर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि तीन फरार है जिनकी तलाश जारी है। हत्या 15 एकड़ कृषि भूमि के विवाद को लेकर की गई थी। अंधी हत्या का खुलासा शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में अति. पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने किया।

उन्होंने बताया कि क्लीरेंस एटकिंस 39 वर्ष निवासी बड़कू का बाड़ा रांझी का सिविल इंजीनियर था। गुरूवार सुबह वे अपने 5 वर्षीय बेटे को स्कूल छोडकर वापस अपनी मोटर सायकिल से आ रहा था सुबह 8-30 बजे जैसे ही बडा पत्थर नरसिंह नगर में पहुंचा तभी एक मोटर सायकिल पर 2 अज्ञात लोग आये एवं क्लीरेंस एटकिंस की ओर बंदूक तानी और फायर कर दिए। बदमाशों ने बेहद करीब से निशाना साधते हुए फायरिंग की, जिसके कारण गोली सीधे सिर में जा धंसी थी। मेडिकल में इलाज के दौरान दोपहर तीन बजे एटकिंस ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया । नगर पुलिस अधीक्षक रांझी सतीष साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रांझी उमेश गोल्हानी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले गये। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। पुलिस ने सीसीटीव्ही फुटेज, तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चिन्हित करते हुये दीनदयाल चौक के पास दबिश देते हुये तेजबल उर्फ अरुण रैकवार 20 वर्ष निवासी माढोताल एवं बरेला टोल प्लाजा के पास दबिश देते हुये मोहित ठाकुर 20 वर्ष निवासी वर्धा हाउस पुल न. 02 थाना कैंट को दबोचा। थाने लाकर पूछताछ की गई तो दोनों ने हत्या करना स्वीकार किया।

सिविल सूट वापस नहीं लिया तो बाबा ने रची हत्या की साजिश

पुलिस के मुताबिक जांच में पाया गया कि रायपुर के पास लगभग 15 एकड़ कृषि भूमि के भूमि स्वामी अजय खराड़कर से क्लेरेन्स एडकिन्स व अन्य पार्टनर का एग्रीमेंट था किन्तु भूमि स्वामी अजय खराड़कर द्वारा बाबा नेलसन और अन्य पर्टनर की सहमति से मीनाक्षी विश्वकर्मा निवासी छिंदवाड़ा के नाम से उक्त भूमि की रजिस्ट्री कर दी गयी जिस पर क्लेरेन्स एडकिन्स ने रजिस्ट्री शून्य करने और अन्य जगह बिक्री के लिए स्टे रायपुर न्यायालय में सिविल सूट लगाया था सौदेबाजी में बाबा नेलसन मध्यस्त था जो चाह रहा था कि क्लेरेन्स एडकिन्स सिविल सूट वापस ले ले, इसी बात पर से बाबा नेलसन और क्लेरेन्स एडकिन्स के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते बाबा नेलसन के कहने पर बाबा नेलसन के बेटे प्रिंस ने अपने दोस्त मोहित ठाकुर, अर्पित कुशवाहा, अरुण रैकवार के साथ मिलकर योजना बनाई।

मोहित-अरूण ने की थी रेकी, प्रिंस, अर्पित ने मारी थी गोली

योजना के अनुसार 23 अप्रैल 26 को दो मोटर साइकिल से सुबह 7.30 बजे चारों बड़ा पत्थर पहुँचे, मोहित ठाकुर और अरुण रैकवार रैकी करते हुये क्लेरेन्स एडकिन्स के घर से स्कूल निकलने का सिग्नल दिए तथा प्रिंस और अर्पित ने दूसरी मोटर साइकिल में पीछा करते हुए शिवशक्ति चौराहे के पास देशी पिस्टल से क्लेरेन्स एडकिन्स को गोली मारकर फरार हो गए। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दो बाइकें, दो मोबाइल जब्त कर लिया है । पुलिस अब प्रिंस नेल्सन पिता विकास नेल्सन 22 वर्ष, अर्पित कुशवाहा पिता सुनील कुशवाहा, विकास उर्फ बाबा उर्फ रिंकू नेलसन तीनों निवासी ओमती की तलाश शुरू कर दी गई है ।

शादी का डिजिटल कार्ड खोलते ही किसान का खाता हुआ खाली, ठग ने उड़ाए 2.58 लाख

जबलपुर। गोसलपुर थाना अंतर्गत सिलुआ में एक किसान को व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड खोलना भारी पड़ गया। ठग ने किसान के बैंक खाते में सेंध लगाकर किस्तों में कुल 2,58,191 रुपये पार कर दिए।

पुलिस ने बताया कि सिलुआ निवासी संदीप कुमार साहू (38) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से फाइल आई थी। फाइल के साथ शादी का निमंत्रण लिखा था। जैसे ही संदीप ने कार्ड देखने के लिए उसे डाउनलोड किया, उनका मोबाइल अचानक हैंग हो गया। हालांकि फाइल डिलीट कर दी और मोबाइल ठीक करवा लिया, लेकिन शातिर ठग ने उसी दौरान उनके फोन का कंट्रोल हासिल कर लिया था। पहले खाते से महज 218 रुपये काटे गए ताकि पीड़ित को शक न हो। छोटी-छोटी रकम फिर निकाली गई। महज एक घंटे के भीतर 10 ट्रांजेक्शन किए गए। जब

मोबाइल पर 46,116 रुपये कटने का मैसेज आया, तब संदीप ने तत्काल भारतीय स्टेट बैंक की गोसलपुर शाखा पहुँचकर खाता चेक करवाया। बैंक स्टेटमेंट देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई उनके मेहनत की कमाई के 2 लाख 58 हजार रुपये निकाले जा चुके थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उन बैंक खातों और लोकेशन की तलाश कर रही है जहाँ यह पैसा ट्रांसफर हुआ है।

फर्जी एग्रीमेंट के जरिए कृषि भूमि हड़पी

अब पीड़िता न्याय की गुहार लेकर थाने पहुंची

जबलपुर । फर्जी एग्रीमेंट के जरिए कृषि भूमि हड़पने के मामले में पीड़िता ने अब भेड़ाघाट थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई ।इसके पहले मंगलवार को पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थीं। शिकायत में पीड़िता माधुरी बाई विश्वकर्मा पत्नि स्व. कौड़ीलाल विश्वकर्मा 75 वर्ष निवासी रेतनाका ग्राम तेवर भेड़ाघाट रोड, ने बताया कि परिवार की कृषि भूमि तेवर हाईवे रोड से लगी हुई है। जिसका 100 रूपये के फर्जी स्टाम्प पर फर्जी तरीके से एग्रीमेंट करके प्रताड़ित किया जा रहा है। संपत्ति की कीमत 11,51,00,000 रूपए दर्शित है। दीपक जैन, पंकज जैन, आर के जैन, नर्मदा प्रसाद के द्वारा फर्जी एग्रीमेंट कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सभी भूमि की रजिस्ट्री करवाना चाहते है। पीड़िता ने यह भी बताया कि उनके दिवंगत पुत्र द्वारा उक्त भूमि पहले ही किसी अन्य को विधिवत बेची जा चुकी है, इसके बावजूद आरोपी जबरन रजिस्ट्री कराने का दबाव बना रहे हैं। लगातार खराब स्वास्थ्य और पूर्व में दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई न होने से परेशान महिला ने अब पुन: पुलिस से एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है ।

अपील | निगमायुक्त ने अधिक से अधिक संख्या में पोर्टल पर स्व-पंजीयन करने नागरिकों से की अपील

जनगणना : प्रशिक्षण संपन्न, अब स्व-गणना की बारी

जबलपुर। आगामी जनगणना 2027 को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम के तत्वावधान में प्रगणकों और फील्ड ट्रेनरों का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह और निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के मार्गदर्शन में इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। इस बार की जनगणना में डिजिटल तकनीक और जन-भागीदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

जनगणना का पहला चरण, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शामिल है, 1 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा। जबलपुर निगम के अंतर्गत आने वाले 16 चार्ज क्षेत्रों के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने शासकीय आई.टी.आई. मढ़ाताल में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। फील्ड स्टाफ में कार्य को लेकर भारी उत्साह देखा गया।

पहली बार आम नागरिक अपने परिवार का विवरण स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकते हैं। पोर्टल 30 अप्रैल 2026 तक सक्रिय रहेगा। नागरिक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यदि नागरिक स्वयं ऑनलाइन विवरण भरते हैं, तो उन्हें केवल एक रेफरेंस आईडी प्रगणक को देनी होगी, जिससे डेटा संग्रहण में सटीकता आएगी और समय की भी बचत होगी। प्रशिक्षण में अपर आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी सागर बोरकर सहित जनगणना निदेशालय के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पोर्टल पर स्व-पंजीयन करें और इस राष्ट्रीय कार्य को सफल बनाने में अपना सहयोग दें।